

वादी साक्ष्य प्रस्तुत किया शीघ्र बहस का
निवेदन किया। वादी वकील द्वारा दौरान बहस समाप्ति
राजस्व रिकॉर्ड्स वर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन का निवेदन
किया जिसे स्वीकार किया जाकर वाद प्रारम्भिक डिफेंड
किया जाता है। प्रारम्भिक डिफेंड पृष्ठक है जिसे भाग शामिल
मिराल है। विभाजन प्रस्ताव देते तहसील वार होयेमतल को
लिखा जावे। पञ्जावली विभाजन प्रस्ताव का इलजाल लेकर भर्ष
07-02-2025 को पेश है।

7.2.23 पञ्जावली पेश हुई
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में
ब्यस्त है। अतः इलजाल लेकर पञ्जावली
आइन्दा 7.3.25 को पेश है।

7.3.25 पञ्जावली पेश हुई। वादी वकील उप. पञ्जावली
विभाजन प्रस्ताव का इलजाल लेकर 21.3.25
को पेश है।

21.3.25 पञ्जावली पेश हुई। वादी वकील उप. पञ्जावली
विभाजन प्रस्ताव का इलजाल लेकर 16.5.2025
को पेश है।

15.04.2025 वादी की ओर से एक प्रार्थन-पत्र पञ्जावली आज
पैशी पर लेने का प्रस्तुत किया जिस पर पञ्जावली
आज पेश हुई। वादी वकील द्वारा प्रार्थन-पत्र में दर्ज
बिन्दुओं को दोराने जिरह दोहराते हुए वाद
को विझी करवाना चाहता है का निवेदन किया।
मैंने पञ्जावली का अध्ययन, अवलोकन किया तथा

फर्द अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-धोरीमन्ना

नाश्ठा	बनाम	श्री वरलाक
जीसीएमएस संख्या	2024/224	किरम मुकदमा
		53,188 RA-Act

तारीख हुकम	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए/पावती
------------	------------------------------	--

वारी वकील की बहस पर मनन किया
चूंकी पत्रावली में लब्धजन आरोप होने से
वारी को ह्रास सुधार व अन्य कार्यों में
बाधा होने से वारी उक्त वाड को विद्दे
कलाना-बावता है। अतः वारी के शर्मा-पत्र
की न्यायहित में स्वीकार किया जाकर उक्त
राजस्व वाड को बाड विद्दे खादिज किया
जाता है पत्रावली फेल ल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना